न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 128 / 2023

तारीख फैसला 9.12.2023

उनवान

1– रमेशी बाई उर्फ तस्वीर बाई पुत्री जगन्नाथ जाति मीना
2– समदरा बाई उर्फ सुमित्रा बाई पुत्री जगन्नाथ जाति मीना
निवासीगण गढेपान तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादीगण)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री शिव प्रसाद शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती

निर्णय

वादनीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम गढेपान तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 39 की 0.29 हेक्टर, खसरा नम्बर 54 की 1.28 हेक्टर, कुल 2 किता की 1.57 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संम्वत 2076–2079 संलग्न है।

यह कि उक्त भूमि वादीगण व अन्य सहखातेदार के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। राजस्व रिकार्ड में वादनी नं0 1 का नाम रमेशी बाई एवं वादनी नं0 2 का नाम समदरा बाई दर्ज है जबकि वादनी नं0 1 का नाम तस्वीर बाई एवं वादनी नं0 2 का नाम सुमित्रा बाई है। वादनीगण के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पेन कार्ड, पहचान पत्र आदि में क्रमशः तस्वीर बाई एवं सुमित्रा बाई दर्ज है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में वादनीगण का नाम रमेशी बाई के स्थान पर तस्वीर बाई व समदरा बाई के स्थान पर सुमित्रा बाई दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

यह कि वाद कारण वादनीगण का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य रिकार्ड में अलग अलग नाम दर्ज होने के कारण दिनांक 22.08.2023 को प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम दुरूस्त नहीं करने व अदालत में कार्यवाही करने की कहने पर पैदा हुआ।

अतः वादीनीगण ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम गढेपान तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 39 की 0.29 हेक्टर, खसरा नम्बर 54 की 1.28 हेक्टर, कुल 2 किता की 1.57 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी नं0 1 का नाम रमेशी बाई के स्थान पर तस्वीर बाई एवं वादनी नं0 2 का नाम समदरा बाई के स्थान पर

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सुमित्रा बाई दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादीनीगण की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गयेः–

1– नकल जमाबन्दी ग्राम गढेपान सम्वत 2076–2079 खाता संख्या 110

2– आधार कार्ड तस्वीर बाई की छाया प्रति

3– आधार कार्ड सुमित्रा बाई की छाया प्रति

4– पेन कार्ड सुमित्रा बाई की छाया प्रति

5– पेन कार्ड तस्वीर बाई की छाया प्रति

6– शपथ पत्र

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

वादीनी गण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं पत्रावली में उपलब्द्ध राजस्व रिकॉर्ड तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीनी गण का वाद पत्र स्वीकार जाकर ग्राम गढेपान तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 39 की 0.29 हेक्टर, खसरा नम्बर 54 की 1.28 हेक्टर, कुल 2 किता की 1.57 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी नं0 1 का नाम रमेशी बाई के स्थान पर तस्वीर बाई एवं वादनी नं0 2 का नाम समदरा बाई के स्थान पर सुमित्रा बाई दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.12.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में सुनाया गया।

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा